संख्या 589 / कार्मिक–2 / 2002

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तरांचल शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तरांचल।

(3) समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 21 जून, 2002

विषय– राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए आरक्षण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित शर्तों एवं उपबन्धों के अधीन राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है :–

(1) आरक्षण राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर केवल सीधी भर्ती के प्रक्रम पर होगा। पदोन्नति के पदों पर नहीं होगा।

(2) आरक्षण हारिजेन्टल प्रकृति का होगा अर्थात् किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर महिला आरक्षण के अधीन चयनित महिला जिस श्रेणी की होगी उसे उस श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा।

(3) यदि कोई महिला, किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर मेरिट के आधार पर चयनित होती है, तो उसकी गणना उस पद पर महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्ति के प्रति की जायेगी।

(4) राज्याधीन लोक सेवाओं पर पदों में सीधी भर्ती के लिए किसी चयन में महिलाओं के लिए आरक्षित पद यदि महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरा जा सके, तो यह पद उपयुक्त पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा व भविष्य के लिए अग्रेनीत नहीं किया जायेगा।

(5) राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के लिए महिलाओं के सम्बन्ध में वांछित सभी अर्हतायें, पद सम्बन्धी सुसंगत सेवा नियमावली में उल्लिखित पूर्ववत् अर्हताओं के अनुरूप रहेंगी व उनमें इस शासनादेश से कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(6) यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे, लेकिन जिन रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किये जा चुके हैं या जिन रिक्तियों के लिए चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो, उन पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ होने का आशय भर्ती का आधार केवल लिखित परीक्षा या साक्षात्कार होने की स्थिति में ऐसी परीक्षा / साक्षात्कार प्रारम्भ हो जाने से है, जिन पदों पर भर्ती का आधार लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों हैं, उनके सम्बन्ध में चयन प्रक्रिया प्रारम्भ होने का आशय लिखित परीक्षा प्रारम्भ हो जाने से है।

143

(7) लोक सेवाओं एवं पदों का तात्पर्य उत्तरांचल लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2001 में परिभाषित लोक सेवाओं और पदों से है।

(8) ऐसे विभाग जहाँ कुल पदों में महिलाओं/पुरुषों के लिए पृथक से पद चिन्हित हैं, उन पदों में 20 प्रतिशत हारिजेन्टल आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी।

2– कृपया शासन के उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें। यह भी अनुरोध है कि शासनादेश से अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों को भी अवगत करा देंवे।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन),
सचिव।